



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 82] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 29, 2012/फाल्गुन 10, 1933

No. 82] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 29, 2012/PHALGUNA 10, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 110(अ)।—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना व्यूरो (विशेष सचिव-सह-महानिदेशक) भर्ती नियम, 2009 को अधिकांश करते हुए, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना व्यूरो के विशेष सचिव-सह-महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय आर्थिक आसूचना व्यूरो (विशेष सचिव-सह-महानिदेशक) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—(1) उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान ये होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) यह पद केन्द्रीय सेवा के अधीन किसी भी संगठित सेवा के कांडर का भाग नहीं होगा।

3. भर्ती की यद्धति, आयु-सीमा और अन्य अहंताएँ.—उक्त पद पर भर्ती की यद्धति, आयु-सीमा, अहंताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता,—यह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीम विधि के अधीन अनुरूप है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति,—जर्वा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं ढालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए नपबंध करना अपौष्टित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पर्दों की संख्या	वर्गीकरण	देताने के लिए बैंड + ग्रेड बैतान या बैतानमान	चयन पद है या अधिकार पद	सीधे अर्थों कि ये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे अर्थों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएँ	सीधे अर्थों विहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और ऐसिक अहंतारं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होनी था जहाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विशेष सचिव-सह- महानिदेशक	*01 (2012)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “क” *कार्यालय के आधार परिवर्तन किया जा सकता है	राजपरिवार अननुसंचितवैय यर	80,000/-लाख रु. (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	अर्थों की पद्धति, अर्थों सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा और जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशततां	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा अर्थों की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विशेष य प्रोन्नति चाहीत है, तो उसकी संरचना संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	अर्थों करने में विकल परिस्थितियों में संघ लोक सेवा			
लागू नहीं होता	(10)	(11)	प्रतिनियुक्ति -	लागू नहीं होता	(12)	(13)	संघ लोक सेवा

<p>केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल काउंसल या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 67000-79000/-रु के उच्च प्रशासनिक ग्रेड के वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की है; और जिनके पास नियन्त्रित आवश्यक अहंतार हैं:-</p>	<p>तथापि, नियन्त्रित संरचना वाली चयन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पद पर करना आवश्यक नहीं है।</p> <p>नियुक्ति के लिए पाव अधिकारियों का चयन करेगी :</p> <p>(i) बंजिमङडल सचिव - अध्यक्ष</p> <p>(ii) प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव - सदस्य</p> <p>(iii) गृह सचिव - सदस्य</p> <p>(iv) सचिव(लाइसेंस) कार्यालय और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य</p> <p>(v) सचिव, संजरब विभाग - सदस्य</p> <p>टिप्पणी- पद के संबंध में कार्य की अपेक्षा को द्यावाल में रखते हुए चयन समिति अधिकारियों का मूल्यांकन करने के लिए उपाय कर सकेगी।</p>
<p>(क) (ii) जो मूल काउंसल या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या</p> <p>(iii) जिन्होंने 67000-79000/-रु के उच्च प्रशासनिक ग्रेड के वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की है; और जिनके पास नियन्त्रित आवश्यक अहंतार हैं:-</p>	<p>नियुक्ति के लिए विभागीय उत्पाद शुल्क और सीना शुल्क की क्षम विवरण में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के केन्द्रीय सरकार में प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को प्रशासित करने या उसे चलाने का कम से कम दोस वर्ष का अनुभव रखता है;</p> <p>टिप्पणी- ऐसी रिक्ति होने की तरीख को, जिसके लिए चयन निया जाता है, दो वर्ष से कम की अवधिकृत सेवा वाला चयनित चयन के लिए विचार किए जाने का पाव नहीं होगा।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठनोंविभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले थरित किसी अन्य काउंसल बाबा पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्ति वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियुक्ति आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्त्वान्वी ग्रेड वेतन या</p>

	<p>वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, स्थिराय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रक्षित वेतनमानों का सामान्य घेड़ वेतन या वेतनमानों के साथ एक छेपी में दितय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होता, जिसके (जिनके) लिए वह घेड़ वेतन या वेतनमान बिना किसी उच्चायन के साधारण प्रतिस्थापन घेड़ है।</p>
--	---

[फा. स. 5015/2008-प्रस्त. 1]

वी. श्रीकुमार, अवार सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2012

**G.S.R. 110(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Economic Intelligence Bureau (Special Secretary-cum-Director General) Recruitment Rules, 2009, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Special Secretary-cum-Director General of the Central Economic Intelligence Bureau in the Department of Revenue under the Ministry of Finance, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Economic Intelligence Bureau (Special Secretary-cum-Director General) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale. — (1) The number of the said post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

(2) This post shall not form part of the cadre of any organized Service under the Central Government.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that, if the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Ex-serviceman, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

6349712-2

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection- or non-selection post	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special Secretary-cum-Director General	01*	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 80,000/- (fixed)	Not applicable	Not applicable

\*(2012)  
\*Subject to variation dependent on workload.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11) Deputation  Officers of the Central Government- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in the HAG scale of pay of Rs. 67,000/- 79,000/-; and  possessing the following essential qualifications:- having at least twenty years of experience in administering and running the direct tax or indirect tax administration in the Central Government with at least ten years experience in the field formations of Central Board of Direct Taxes or Central Board of Excise and Customs.	(12) Not applicable.  However, a Selection Committee with the following composition shall make selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government:-  (i) Cabinet Secretary (ii) Principal Secretary to Prime Minister (iii) Home Secretary (Personnel) (iv) Secretary, Department of Personnel and Training (v) Secretary, Department of Revenue	(13) Consultation with Union Public Service Commission not necessary  Chairman; Member; Member; Member; Member;  Note: The Selection Committee may devise ways to assess candidates keeping in view the job requirement for the post.

Note 1. – No person with less than two years' residual service on the date of occurrence of the vacancy for which selection is made shall be eligible for consideration for selection.

Note 2. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment

under same or some other organization or Department of the Central Government shall not exceed five years.

Note 3. — For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. 50/15/2008-Ad. I]

V. SREEKUMAR, Under Secy.